09 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. फिल्म निर्माता संगीत सिवन का मुंबई में निधन (स्टेट पीसीएस)
2. भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (GS PAPER III: पर्यावरण)
3. संवैधानिक टकराव को निपटाने का मौका (9 मई) (GS PAPER II: मौलिक अधिकार और डीपीएसपी)
4. मानव विकास को प्रधानता देना। (GS PAPER III: विकास)
5. नागालैंड नगर निकाय चुनाव में देरी. (GS PAPER I: समाज, GS PAPER II: राजनीति)
6. एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभाव। (GS PAPER II: सरकारी योजना)

PatriotIAS

केंद्र का कहना है कि वह अन्य राज्यों में सीबीआई जांच को मंजूरी देता है (9 मई)

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया कि उसका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर कोई नियंत्रण नहीं है।

- न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सवाल किया कि अन्य राज्यों में मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को और कौन अधिकृत कर सकता है।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि केंद्र सरकार के पास अन्य राज्यों में जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत करने का अधिकार है।
- अदालत संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार पर सीबीआई को एकतरफा जांच के लिए अधिकृत करके राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था।
- पश्चिम बंगाल ने नवंबर 2018 में अपने क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
- केंद्र ने तर्क दिया कि यह मुकदमा स्वीकार्य नहीं है और पश्चिम बंगाल ने गलत तरीके से केंद्र को प्रतिवादी बनाया है।
- सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सीबीआई ने कहां और कैसे जांच की, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है।
- न्यायमूर्ति मेहता ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 5(1) का हवाला देते हुए सॉलिसिटर-जनरल द्वारा सीबीआई पर नियंत्रण के संबंध में किए गए दावे पर सवाल उठाया।
- डीएसपीई अधिनियम की धारा 5(1) केंद्र सरकार को राज्य के किसी भी क्षेत्र में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का अधिकार देती है।
- न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यदि सॉलिसिटर-जनरल का दावा सच है, तो केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां देने के लिए धारा 5(1) की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के लिए मुकदमे में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अनुच्छेद 131 के तहत 'राज्य' नहीं माना जाता है।
- उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 131 के तहत मूल मुकदमे केवल केंद्र और राज्यों से जुड़े विवादों के लिए दायर किए जा सकते हैं।
- अदालत ने केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मूल मुकदमे की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

फिल्म निर्माता संगीत सिवन का मुंबई में निधन (9 मई)

PatriotIAS

- फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 65 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया।
- मलयालम सिनेमा में उनकी फिल्म "योद्धा" (1992) अत्यधिक प्रशंसित थी और इसे बार-बार देखने का मूल्य भी अधिक था।
- "योद्धा" हॉलीवुड फिल्म "द गोल्डन चाइल्ड" से प्रभावित थी लेकिन इसमें मौलिक हास्य और यादगार अभिनय था।

- एआर रहमान ने "योद्धा" के लिए संगीत दिया, जिसने इसकी सफलता में योगदान दिया।
- संगीत सिवन ने अपने करियर की शुरुआत वृत्तचित्रों में अपने पिता की सहायता से की और फीचर फिल्मों में स्थानांतरित होने के लिए उन्हें अपने भाई संतोष सिवन से प्रेरणा मिली।
- उन्होंने मलयालम सिनेमा में अपने निर्देशन करियर की शुरुआत "व्यूहम" (1990) से की, जो "लीथल वेपन" से काफी हद तक प्रेरित थी।
- बॉलीवुड में, उनकी फिल्मों के स्वर में हल्के से ऊंचे स्वर में बदलाव आया, जिसमें "चुरा लिया है तुमने," "क्या कूल हैं हम," और "अपना सपना मनी मनी" जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं।
- अपने निधन से कुछ समय पहले वह अपनी अगली हिंदी निर्देशित फिल्म "कपकपी" के पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे।

भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (9 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

- 2023 में, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया।
- भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट (बीयू) सौर ऊर्जा का उत्पादन किया, जबकि जापान ने 110 बीयू का उत्पादन किया।

Patriot IAS

- हालाँकि, स्थापित बिजली क्षमता (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों सहित) के मामले में, भारत 73 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के साथ विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर है, जबकि जापान 83 गीगावॉट के साथ तीसरे स्थान पर है।
- स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादित बिजली के बीच विसंगति बिजली की मांग और स्थानीय परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव के कारण है।
- नीति आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 442 गीगावाट में सौर ऊर्जा का योगदान 18% है, लेकिन वास्तविक उत्पादित बिजली में इसका योगदान केवल 6.66% है।
- 2023 में जापान की बिजली की मांग में 2% की कमी आएगी, जिससे भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में उससे आगे निकल जाएगा।
- यह अनिश्चित है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में इस प्रवृत्ति को बनाए रख पाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका (दूसरे स्थान पर) से आगे निकलने के लिए भारत को अपने वर्तमान सौर उत्पादन को दोगुना करना होगा और 228 बीयू से अधिक करना होगा।
- चीन विश्व में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है, जो 2024 में 584 बिलियन यूनिट (बीयू) उत्पादन करेगा, जो अगले चार देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है।
- वैश्विक स्तर पर, 2023 में बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा 30% था, जो 2000 में 19% था।
- नवीकरणीय ऊर्जा में यह वृद्धि मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा द्वारा संचालित है।
- 2023 में, चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतिरिक्त वैश्विक सौर उत्पादन का 51% और नई वैश्विक पवन उत्पादन का 60% योगदान दिया।
- परमाणु ऊर्जा के साथ संयुक्त होने पर, कम कार्बन स्रोतों का 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा था।
- एम्बर ने 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया है और उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति अगले वर्षों में भी जारी रहेगी, जिससे पता चलता है कि वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन 2023 में अपने चरम पर पहुंच सकता है।
- एम्बर के वैश्विक अंतर्दृष्टि के निदेशक डेव जोन्स ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य आ गया है, विशेष रूप से सौर ऊर्जा अनुमान से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ रही है।

Patriot IAS

कैसे विडाल परीक्षण भारत की टाइफाइड समस्या की समझ को धूमिल कर देता है (9 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

विडाल परीक्षण के गलत परिणाम देने की प्रवृत्ति के कारण, भारत में टाइफाइड का वास्तविक बोझ अस्पष्ट बना हुआ है। रक्त का नमूना लेने के उचित समय के बारे में जागरूकता की कमी, किटों के मानकीकरण की कमी और खराब गुणवत्ता-नियंत्रण के कारण समस्या और बढ़ गई है।

- टाइफाइड बुखार का निदान आमतौर पर बुखार के रोगियों में तीव्र रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है जिसे विडाल परीक्षण कहा जाता है।
- टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है।
- लक्षणों में तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, मतली, उल्टी, दस्त या कब्ज और दाने शामिल हैं।
- कुछ व्यक्ति बिना लक्षण दिखाए बैक्टीरिया के वाहक हो सकते हैं।
- यदि इसका उपचार न किया जाए तो टाइफाइड जानलेवा हो सकता है, दुनिया भर में हर साल लाखों लोग इससे पीड़ित होते हैं और मृत्यु दर भी काफी अधिक होती है।
- निदान के लिए सर्वोत्तम मानक में रक्त या अस्थि मज्जा से बैक्टीरिया को अलग करना और प्रयोगशाला में उनका संवर्धन करना शामिल है।
- हालांकि, कल्चर परीक्षण समय लेने वाला और संसाधन गहन होता है, तथा पूर्व एंटीबायोटिक उपचार के कारण परिणाम प्रभावित होते हैं।
- पीसीआर-आधारित आणविक विधियां बेहतर सटीकता प्रदान करती हैं, लेकिन लागत और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के कारण सीमित हैं।
- भारत में, विडाल परीक्षण का उपयोग, इसकी बिंदु-आधारित देखभाल प्रकृति के कारण, टाइफाइड के निदान के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
- विडाल परीक्षण रक्त में बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबॉडी का पता लगाता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर इसके दोषों के कारण सवाल उठते हैं, विशेषकर तब जब इसका प्रयोग भारत में व्यापक रूप से किया जाता है।
- 1800 के दशक के अंत में विकसित विडाल परीक्षण अब अपनी सीमाओं के कारण कई देशों में व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है।

PolityIAS

विडाल अनुपयुक्त क्यों है?

- एक भी सकारात्मक विडाल परीक्षण परिणाम का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, और एक नकारात्मक परिणाम बीमारी की अनुपस्थिति की गारंटी नहीं देता है।
- निदान के लिए आमतौर पर एंटीबॉडी सांद्रता में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 7-14 दिनों के अंतराल पर लिए गए कम से कम दो सीरम नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अक्सर अव्यावहारिक होता है।
- उच्च टाइफाइड बोझ वाले क्षेत्रों में, मौजूदा एंटीबॉडी स्तर परीक्षण परिणामों की व्याख्या को जटिल बना सकते हैं, क्योंकि विभिन्न निर्माताओं के पास अलग-अलग कटऑफ मान हो सकते हैं।
- विडाल परीक्षण में उपयोग किए गए अभिकर्मक अन्य संक्रमणों या टीकाकरणों से प्राप्त एंटीबॉडी के साथ क्रॉस-रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे गलत सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जबकि पूर्व एंटीबायोटिक उपयोग के परिणामस्वरूप गलत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- आंतों में रक्तस्राव जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए सही निदान और उपचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन झूठी नकारात्मकता उपचार में देरी कर सकती है और परिणाम खराब कर सकती है।
- भारत में विडाल परीक्षण का व्यापक उपयोग रक्त संग्रह के अनुचित समय और परीक्षण मानकीकरण की कमी जैसे कारकों के कारण टाइफाइड के वास्तविक बोझ को अस्पष्ट करता है।
- विडाल परीक्षण के सकारात्मक परिणाम के बाद एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क की रिपोर्ट के साथ, परीक्षण की लागत और उसके बाद एंटीबायोटिक उपचार रोगियों पर वित्तीय दबाव डालता है।
- गलत निदान के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध में योगदान देता है, जो एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, जिससे टाइफाइड और अन्य संक्रमणों का इलाज करना कठिन हो जाता है।
- विडाल परीक्षण की सीमाओं को संबोधित किए बिना उस पर निरंतर निर्भरता, रोकथाम योग्य बीमारियों की समस्या को बढ़ाती है और रोगियों के वित्तीय बोझ को बढ़ाती है।

विकल्प क्या है?

Patriot IAS

- टाइफाइड बुखार के निदान के लिए विडाल परीक्षण के स्थान पर बेहतर पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण विकसित करने की आवश्यकता है।
- जब तक बेहतर परीक्षण उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक चिकित्सक टाइफाइड बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं पर क्षेत्रीय आंकड़ों पर आधारित सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं।
- इन रणनीतियों को रोग के मूल कारणों को दूर करने के लिए सुरक्षित भोजन, पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- बेहतर नैदानिक परीक्षणों तक पहुंच में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि रक्त या अस्थि मज्जा संवर्धन जैसी पारंपरिक विधियां प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अक्सर अव्यावहारिक होती हैं।
- परिधि पर नमूना संग्रहण स्थल तथा जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में प्रसंस्करण केन्द्रों के साथ "हब और स्पोक" मॉडल को लागू करने से नैदानिक क्षमताओं में सुधार हो सकता है तथा टाइफाइड की व्यापकता और एंटीबायोटिक संवेदनशीलता पर क्षेत्रीय डेटा उत्पन्न हो सकता है।
- विडाल परीक्षण के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की निगरानी और उससे निपटने के लिए उन्नत निगरानी महत्वपूर्ण है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उपचार रणनीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए टाइफाइड बैक्टीरिया के प्रतिरोध पैटर्न पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है।
- चूंकि टाइफाइड बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में भी फैल सकता है, इसलिए प्रकोप को रोकने और संचरण को नियंत्रित करने के लिए निरंतर पर्यावरणीय सतर्कता और डेटा साझा करना आवश्यक है।

नासा चंद्रमा के लिए समय मानक तैयार कर रहा है (9 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

PatriotIAS

- सितंबर 2025 में, नासा का आर्टेमिस चालक दल चंद्रमा पर पुनः उतरने की तैयारी के तहत उसके चारों ओर उड़ान भरने की योजना बना रहा है।
- व्हाइट हाउस ओएसटीपी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय)
- नीति) ने नासा को चंद्रमा पर समय-निर्धारण को मानकीकृत करने के लिए समन्वित चंद्र समय (एलटीसी) स्थापित करने का निर्देश दिया है।
- एलटीसी, पृथ्वी के यूटीसी (समन्वित सार्वभौमिक समय) के साथ चंद्र परिचालन को समन्वयित करेगा।

- वाणिज्य, रक्षा, राज्य और परिवहन जैसे संघीय विभाग इसमें शामिल हैं, तथा LTC कार्यान्वयन रणनीति के लिए 31 दिसंबर, 2026 की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रणनीति के अनुरूप है।
- 1960 के दशक में विकसित UTC, परमाणु घड़ी की सटीकता को सौर समय परिवर्तनशीलता के साथ जोड़ता है।
- वर्तमान में चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान संचालक समय का पालन करते हैं; ISS UTC का उपयोग करता है। सिसलूनर संचालन के लिए कोई मानकीकृत समय मौजूद नहीं है।
- व्हाइट हाउस का लक्ष्य खगोलीय पिंडों के लिए समय को मानकीकृत करना है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा से की जाएगी, तथा UTC ट्रेसिबिलिटी, मापनीयता, सटीकता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- चन्द्रमा पर डेलाइट सेविंग के बिना एक समय क्षेत्र होगा।
- विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति की योजना बना रही हैं, जिसके लिए समन्वय की आवश्यकता है।
- एलटीसी चंद्र गतिविधियों के समन्वय में सहायता कर सकता है तथा 2030 तक पृथ्वी पर जीपीएस के समान चंद्र नेविगेशन प्रणाली के लिए आधार के रूप में कार्य कर सकता है।

संवैधानिक टकराव को सुलझाने का मौका (9 **मई**) (GS PAPER II: **मौलिक अधिकार और डीपीएसपी**)

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में शीर्ष अदालत के पास मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव को सुलझाने का मौका है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की सुनवाई पूरी की** ।
- यह मामला दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमता है:
- **संविधान के अनुच्छेद** 39(**बी**) **में "समुदाय के भौतिक संसाधन" शब्द का क्या अर्थ है**?
- **क्या कानून अनुच्छेद** 39(**बी**) **में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर आधारित चुनौतियों से मुक्त हैं**?
- दूसरा प्रश्न संविधान के भाग III और भाग IV के बीच विरोधाभास पर प्रकाश डालता है।
- भाग III मौलिक अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि भाग IV राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को सूचीबद्ध करता है, जो राज्य के लिए लक्ष्य हैं।
- मौलिक अधिकार लागू करने योग्य हैं, जबकि डीपीएसपी को महत्वाकांक्षी उद्देश्य माना जाता है।
- दोनों भागों के बीच यह तनाव भारत के संवैधानिक इतिहास में एक आवर्ती विषय रहा है, विशेष रूप से 1970 के दशक के दौरान स्पष्ट हुआ जब कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देने के लिए संशोधन किए गए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में बार-बार संघर्ष किया है।
- 1973 **के** ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद से मौजूद है ।
- संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद, संविधान के इन दो भागों के बीच तनाव कायम है।
- संपत्ति मालिकों के मामले में पीठ द्वारा इस विवाद का समाधान संविधान के भविष्य की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।
- **प्रारंभ में, संविधान का पाठ स्पष्ट प्रतीत हुआ: अनुच्छेद** 13 **में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य होंगे, जबकि अनुच्छेद** 37 **में कहा गया था कि डी.पी.एस.पी. अदालत में लागू नहीं होंगे, बल्कि उन्हें राज्य की नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए।**

PatriotIAS

- न्यायालय द्वारा प्रारंभिक निर्णय, जैसे मो. **हनीफ़ क़ुरैशी बनाम बिहार राज्य** (1958), भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) दोनों के महत्व पर जोर दिया गया, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि DPSP को लागू करते समय कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद 31C का परिचय

- 1971 में, 25वें संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया , **जिसमें अनुच्छेद 31सी शामिल किया गया।**
- अनुच्छेद 31सी का उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना है, विशेष रूप से अनुच्छेद 39(बी) और (सी) से संबंधित कानून जो भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने और धन संकेंद्रण को रोकने से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 31सी में कहा गया है कि इन निर्देशों को लागू करने वाले कानूनों को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है, भले ही वे अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हों, जिसमें समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति और पेशे की स्वतंत्रता जैसी विभिन्न स्वतंत्रताएं शामिल हैं।**
- इसका मतलब यह था कि भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून, जैसे कि मीडिया का राष्ट्रीयकरण, आम भलाई या बोलने की स्वतंत्रता की चिंताओं पर आधारित कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो सकते हैं।
- इसका परिणाम यह हुआ कि संसद अदालतों द्वारा रद्द किए जाने के डर के बिना कानून बना सकती थी, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
- **केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले संशोधन शून्य होंगे।**
- **सात-छह के मामूली बहुमत से न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की राय ने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया।**
- उन्होंने पाया कि यद्यपि **25वें संशोधन ने अनुच्छेद 39(बी) और (सी) से संबंधित कानूनों की जांच पर रोक लगाकर इस सिद्धांत का आंशिक रूप से उल्लंघन किया, लेकिन अनुच्छेद 14 और 19 पर आधारित चुनौतियों के संबंध में इसे बरकरार रखा गया।**
- दिलचस्प बात यह है कि अल्पमत न्यायाधीशों ने, जो मानते थे कि संसद के पास असीमित संशोधन शक्ति है, 25वें संशोधन की वैधता का गहन मूल्यांकन नहीं किया।

Parmar IAS

- केशवानंद के फैसले से यह निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं हुआ कि क्या संशोधन, कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से छूट देने के कारण संविधान की मूल विशेषताओं का उल्लंघन करता है।

और अधिक परिवर्तन

- 1976 में, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31सी का विस्तार किया गया, जिससे न केवल अनुच्छेद 39(बी) और (सी) को बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए कानूनों को भी इसकी सुरक्षा प्रदान की गई।
- हालाँकि, 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 19 और 21) अप्रतिबंधित राज्य शक्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं, और 42वें संशोधन ने इस संतुलन से समझौता किया है।
- इस निर्णय ने अनुच्छेद 31सी की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए हैं: क्या यह 25वें संशोधन के बाद अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा, अमान्य किए गए भागों को छोड़कर, या इसकी वैधता अनिश्चित बनी रहेगी?
- **वामन राव बनाम भारत संघ मामले** में , न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ ने असंशोधित अनुच्छेद 31सी की वैधता को बरकरार रखा और सुझाव दिया कि अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
- हालाँकि, यह राय त्रुटिपूर्ण लगती है क्योंकि आम भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए कानून संभावित रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस के राष्ट्रीयकरण जैसे परिदृश्यों में देखा गया है।
- में , **सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैधता का आकलन करेगा जो राज्य सरकार के बोर्ड को कम से कम 70% निवासियों की सहमति से जर्जर इमारतों का नियंत्रण लेने की अनुमति देता है** ।
- न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या यह कानून अनुच्छेद 39(बी) के अनुरूप है। यदि ऐसा होता है, तो सवाल उठता है कि क्या क़ानून की जांच अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर भी की जा सकती है, जो क्रमशः समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

एक अवसर

Patriots IAS

- **25वें संशोधन द्वारा पेश अनुच्छेद 31सी** पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी भी कोई निश्चित विश्लेषण नहीं आया है।
- अनुच्छेद 31सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए कानूनों और कुछ मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से उनकी छूट से संबंधित है।
- अनुच्छेद 31सी पर स्पष्टता की कमी के कारण मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी. के बीच संघर्ष जारी है।
- संपत्ति मालिकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस विवाद को सुलझाने तथा अनुच्छेद 31सी की संवैधानिकता पर स्पष्टता प्रदान करने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- संपत्ति मालिकों के मामले में एक निर्णायक फैसला संविधान की मौलिक गारंटियों को मजबूत कर सकता है।

प्रश्न: संविधान के लागू होने के बाद से न्यायिक घोषणाओं और संवैधानिक संशोधनों पर विचार करते हुए भारत में मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के विकास की जांच करें। (250 शब्द/15 अंक)

दृष्टिकोण:

- एफआर और डीपीएसपी के बीच संघर्ष के मूल कारण पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त परिचय दें।
- विभिन्न न्यायिक मामलों के साथ-साथ संवैधानिक संशोधनों के कारण एफआरएस और डीपीएसपी के बीच बदलते संबंधों का विवरण दें।
- दोनों के बीच संतुलन की तलाश करते हुए अंतिम स्थिति का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकालें।

PatriotIAS

मानव विकास को प्रधानता देना (9 मई) (GS PAPER III: विकास)

मानव विकास के निम्न स्तर, असमानता के उच्च स्तर, कम बचत और उच्च ऋण को देखते हुए, एक वैकल्पिक विकास रणनीति के बारे में सोचने का समय आ गया है जो मानव विकास को प्राथमिकता देती है।

- राजनीतिक दल आगामी चुनावों में विकास के वादे को एक प्रमुख विषय के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
- हाल के वर्षों में जो हासिल किया गया है, उसे देखते हुए, जैसा कि मानव विकास रिपोर्ट में दिखाया गया है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अभी भी क्या करने की आवश्यकता है।
- यह आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक विकास की ओर यात्रा शुरू करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने के महत्व पर जोर देता है।

मानव विकास सूचकांक पर ख़राब रैंकिंग

- दो हालिया रिपोर्टें भारत के विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं।
- यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 मानव विकास उपलब्धियों की तुलना करती है।
- मार्च 2024 के विश्व असमानता प्रयोगशाला के एक पेपर में 1922 से 2023 तक भारत में आय और धन असमानता के दीर्घकालिक रुझानों पर चर्चा की गई है।
- दोनों रिपोर्टें मानव विकास और असमानता में चिंताजनक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं।
- वे मानव क्षमताओं और नागरिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से भविष्य में सरकारी कार्यों के मार्गदर्शन के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करते हैं।
- ये मुद्दे प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे के केन्द्र में हैं।
- वर्ष 2022 में, भारत संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 193 देशों में से 134वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2021 में 192 देशों में से 135वें स्थान से थोड़ा सुधार दर्शाता है।
- इस सुधार का श्रेय भारत के मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मूल्य में मामूली वृद्धि को दिया जा सकता है, जो 2021 में 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया है।
- सुधार के बावजूद भारत अभी भी भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन जैसे देशों से पीछे है।
- भारत, म्यांमार, घाना, केन्या, कांगो और अंगोला जैसे देशों के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है।
- एक क्षेत्र जहां भारत ने सुधार दिखाया है, वह है लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें 2022 में 193 देशों में से 108वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 191 देशों में से 122वें स्थान पर होगा।

PatriotIAS

- हालाँकि, भारत में अभी भी लैंगिक असमानताएँ हैं, विशेष रूप से श्रम शक्ति भागीदारी में, जहाँ पुरुषों (76.1%) और महिलाओं (28.3%) के बीच बड़ा अंतर है, जो 47.8% है।
- मानव विकास रिपोर्ट बढ़ती असमानता और मानव विकास पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालती है।
- 2020 के बाद से, उच्च और निम्न मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) स्कोर वाले देशों के बीच असमानता सालाना बढ़ रही है।
- महत्वपूर्ण आर्थिक संकेंद्रण के कारण यह असमानता और भी बदतर हो गई है, वस्तुओं के वैश्विक व्यापार का लगभग 40% केवल तीन देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- 2021 में, तीन सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का बाजार मूल्य 90% से अधिक देशों की जीडीपी से अधिक हो गया।
- रिपोर्ट में बढ़ती असमानता के परिणामों पर चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि निचले 50% आय वर्ग के लोगों का अपने जीवन पर कम और अपेक्षाकृत समान नियंत्रण है।
- हालाँकि, जनसंख्या के शीर्ष 50% की आय बढ़ने पर एजेंसी (या किसी के जीवन पर नियंत्रण) बढ़ जाती है।
- असमानता को समायोजित करने पर, भारत की मानव विकास सूचकांक में हानि 31.1% है, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित कई पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक है।

बढ़ती असमानता

- भारत की निचली 50% आबादी को 2022-23 में राष्ट्रीय आय का केवल 15% प्राप्त होगा।
- शीर्ष 1% लोगों की औसत कमाई 5.3 मिलियन थी, जो एक भारतीय की औसत आय से 23 गुना अधिक है।
- निचले 50% और मध्य 40% की औसत आय काफी कम थी, जो क्रमशः 71,000 रुपये और 1,65,000 रुपये थी।
- सबसे अमीर 10,000 व्यक्तियों ने औसतन 480 मिलियन रुपये कमाए, जो अत्यधिक धन संकेन्द्रण का संकेत है।
- शीर्ष दशमलव में आय वृद्धि शेष जनसंख्या, विशेषकर मध्य 40% की तुलना में बहुत अधिक थी।

PatriotIAS

- शीर्ष 10% के भीतर विकास दर रैंक के साथ बढ़ी, जो सबसे धनी लोगों के लिए असंगत लाभ का सुझाव देती है।
- 2014 से 2022 तक, मध्य 40% की आय निचले 50% की तुलना में धीमी गति से बढ़ी, जिससे संभावित रूप से मध्यम वर्ग सिकुड़ गया।
- यह विषम आय वितरण और वृद्धि पैटर्न आर्थिक ध्रुवीकरण के जोखिम का संकेत देता है, जो समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है: अमीर और गरीब।
- भारत में घरेलू ऋण का स्तर दिसंबर 2023 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- शुद्ध वित्तीय बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.2% हो गई।
- घरेलू ऋण के प्रकारों में असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण में सबसे तेज़ वृद्धि देखी गई, इसके बाद सुरक्षित ऋण, कृषि ऋण और व्यावसायिक ऋण का स्थान रहा।
- 2022-23 में वार्षिक घरेलू उधार बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% हो गया, जो स्वतंत्र भारत में दूसरा उच्चतम स्तर है।
- निम्न मानव विकास, उच्च असमानता, कम बचत और उच्च ऋण के कारण, विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव विकास को प्राथमिकता देने वाली वैकल्पिक विकास रणनीति की आवश्यकता है।
- इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और अल्पकालिक चुनावी लाभ से परे ध्यान देने की आवश्यकता है।
- प्रारंभिक कदम के रूप में, विकास की कहानी को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है।

भीषण गर्मी ने केरल की बिजली व्यवस्था को उजागर कर दिया (9 मई)

केरल अपनी दैनिक बिजली की अधिकांश आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर करता है।

- केरल में इस समय असामान्य रूप से गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण कुछ जिलों में लू चल रही है।
- गर्म लहरों ने केरल की बिजली व्यवस्था में उन समस्याओं को उजागर कर दिया है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है।
- केरल अपनी दैनिक बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

PatronIAS

- गर्मियों के दौरान बिजली की कमी से बचने के लिए, केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी), जो कि राज्य संचालित बिजली उपयोगिता है, अग्रिम बिजली खरीद समझौते में संलग्न है।
- इसके अतिरिक्त, केएसईबी देश के अन्य हिस्सों से बिजली जनरेटर और उपयोगिताओं के साथ स्वैप व्यवस्था में प्रवेश करता है।
- इस वर्ष, केरल को असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण अपने बिजली अनुमानों के साथ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- कई दिनों में 15 से 20 मिलियन यूनिट (एमयू) की वृद्धि के साथ, बिजली के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- मार्च और अप्रैल में बिजली की खपत 2023 के समान महीनों की तुलना में क्रमशः 12.79% और 15.62% बढ़ी।
- एयर कंडीशनर और चार्जिंग ई-वाहनों पर बढ़ती निर्भरता के कारण देर शाम के समय मांग में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
- अप्रैल माह में शाम के समय बिजली की अधिकतम मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 12.38% की वृद्धि हुई।
- इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करना केरल राज्य विद्युत बोर्ड के लिए काफी कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है।
- केरल में लोगों ने केएसईबी अनुभाग कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके बिजली कटौती से अपनी निराशा व्यक्त की।
- माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार को बिजली आपूर्ति संबंधी मुद्दों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
- केरल सरकार ने बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने के लिए स्व-नियमन की सिफारिश की।
- इसने राज्यव्यापी विद्युत प्रतिबंध और चक्रीय लोड शेडिंग लागू करने से इनकार कर दिया।
- उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे से मध्य रात्रि तक बिजली का उपयोग न्यूनतम करने की सलाह दी गई।
- घरेलू उपभोक्ताओं, जो कि केएसईबी के अधिकांश उपभोक्ता हैं, को बिजली बचाने तथा उच्च ऊर्जा खपत वाली गतिविधियों को ऑफ-पीक घंटों में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- केरल में बिजली आपूर्ति में कमी आई है, जिसके कारण ऊंची कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ रही है।

PatriotIAS

- हाल के समय में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत बिजली कटौती दुर्लभ हो गई है, तथा बिजली की कमी की भरपाई महंगी बिजली खरीद कर की जाती है।
- आंतरिक विद्युत उत्पादन, मुख्यतः जल विद्युत से, सामान्य परिस्थितियों में भी मांग का केवल 30% ही पूरा हो पाता है।
- गर्मियों के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए बिजली का एक बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है।
- 3 मई को खपत हुई 115.94 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली में से केवल 22.75 एमयू का ही आंतरिक उत्पादन किया गया, जबकि 93.19 एमयू का आयात किया गया।
- एक समय बिजली अधिशेष वाला केरल अब अपर्याप्त आंतरिक क्षमता के कारण बिजली आवंटन और खरीद पर बहुत अधिक निर्भर है।
- 2023 में, केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कुल 465 मेगावाट के दीर्घकालिक बिजली खरीद सौदों को रद्द कर दिया, जिससे संभावित आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई।
- विवाद के बाद निर्णय उलट दिया गया, लेकिन इसमें शामिल कंपनियों ने अभी तक आपूर्ति फिर से शुरू नहीं की है, जिससे संकट और बढ़ गया है।
- केरल के बिजली विभाग ने नेटवर्क सुधार के बजाय स्मार्ट मीटर के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना निधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया।
- इस निर्णय को प्रभावशाली वामपंथी ऊर्जा क्षेत्र संघों की आलोचना का सामना करना पड़ा।
- केरल के बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने के लिए समझदार और संतुलित निर्णय लेने पर जोर दिया गया है।
- इस संकट ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) को दीर्घकालिक विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
- बिजली की स्थिति पर मीडिया में नकारात्मक कवरेज, केरल को निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में चित्रित करने के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है।

2025 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बिजली पर अंकुश विपक्षी दलों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

तर्कहीन इजरायल: युद्ध विराम प्रस्ताव और हमास पर (9 मई)

PatriotIAS

नेतन्याहू अपने देश के हितों से ज़्यादा अपने राजनीतिक भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं

- हमास ने कतर और मिस्र की मध्यस्थता से युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
- इजराइल ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राफा से 100,000 से अधिक लोगों को निकालने की घोषणा की।
- इज़रायली टैंकों को राफा में भेज दिया गया, तथा इज़रायल ने मिस्र के साथ सीमा पार करने वाले गाजा की ओर नियंत्रण कर लिया।
- गाजा की स्थिति बहुत खराब है, वहां बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, विस्थापन हुआ है और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।
- इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की जाती है, तथा असंतुलित बल प्रयोग और प्रगति की कमी की चिंता व्यक्त की जाती है।
- प्रधानमंत्री नेतन्याहू के राफा पर आक्रमण करने के निर्णय के इजरायल के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधान के रूप में बातचीत के माध्यम से युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है।
- यहां तक कि हमास ने भी युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा दिखाई है।
- सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू युद्धविराम के लिए तैयार हैं।

एक दुखद कहानी: प्याज निर्यात पर (9 मई)

प्याज निर्यात प्रतिबंध को हटाने से किसानों को गलत संकेत मिलेगा

- भारत सरकार ने करीब छह महीने बाद प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है.
- हालाँकि, निर्यात शर्तों के अधीन हैं: न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति टन और 40% लेवी।
- यह निर्णय केवल 10 दिन पहले एक और नीति परिवर्तन के बाद हुआ, जिसमें गुजरात बागवानी आयुक्त से प्रमाणीकरण के साथ 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई।
- आलोचकों ने तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम से गुजरात के किसानों को फायदा हुआ, जिससे तरजीही व्यवहार के आरोप लगे।
- सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सफेद प्याज, जो मुख्य रूप से निर्यात के लिए है, की उत्पादन लागत अधिक है और निर्यात की अनुमति देने से भारत में सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र को फायदा होगा।

Patrika IAS

- अनुमति के बावजूद, इस अवधि के दौरान वास्तव में केवल कुछ हज़ार टन प्याज का निर्यात किया गया।
- प्याज निर्यात प्रतिबंधों को सशर्त हटाया जाना महाराष्ट्र के प्याज खेती क्षेत्रों में 20 मई को होने वाले मतदान के साथ मेल खाता है।
- केंद्र ने अप्रैल से स्थिर मंडी कीमतों ₹15 प्रति किलो के आधार पर निर्णय को उचित ठहराया, जो पर्याप्त आपूर्ति और प्याज की खराब होने की प्रकृति का संकेत देता है।
- राज्य भाजपा नेताओं का तर्क है कि इस कदम से बेहतर कीमतें और आय सुनिश्चित करके किसानों को लाभ होगा।
- हालाँकि, न्यूनतम मूल्य प्लस निर्यात शुल्क निर्धारण केवल ₹64 प्रति किलो या उससे अधिक पर निर्यात को व्यवहार्य बनाता है, जो किसानों के लिए एक चुनौती है।
- भारत से पहले मिस्र और पाकिस्तान द्वारा निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्याज की कीमतें घट रही हैं।
- नवीनतम निर्यात मानदंड अगली सरकार के कार्यभार संभालने तक लागू रहने की उम्मीद है, जिससे प्रभावी रूप से लगभग एक वर्ष के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- उपभोक्ताओं और किसानों के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नीति निर्माताओं को बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक रुझानों पर विचार करना चाहिए।
- 2023 की दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने से पहले, मई तक 21 महीनों तक प्याज की कीमतों में गिरावट रही थी।
- जबकि 2023-24 में कीमतें लगभग 30% बढ़ीं, पहले उनमें 21% की गिरावट आई थी।
- सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि जनवरी 2015 और मार्च 2020 के बीच प्याज निर्यात प्रतिबंध के कारण किसानों को अपनी वार्षिक आय का औसतन 21% का नुकसान हुआ।
- लगभग दो वर्षों तक गिरती कीमतों के बाद निर्यात प्रतिबंधों की मौजूदा श्रृंखला, किसानों को प्याज बोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण और भारत के प्रमुख खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है।

Drishti IAS